न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 26/2019 **दायरा दिनांक :13.05.2019**

उनवान

अनोख बाई पुत्री रामनारायण पत्नी स्वर्गीय बिहारी लाल, जाति मेहर, निवासी दुर्गा माता मन्दिर के पास गरोठ, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1— भगवान आत्मज रामनारायण, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— दिनेश आत्मज बापू लाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— महेष आत्मज बापू लाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— अनिता पुत्री बापू लाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5— नीतू पुत्री बापू लाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6— लीला बाई बेवा बापू लाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

7— जानकीलाल आत्मज अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

8— आशा बाई पुत्री अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

9– श्यामू बाई पुत्री अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

10– सीमा पुत्री अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

11– शीला पुत्री अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

12– सुनीता पुत्री अनारलाल जाति मेहर नाबालिग जरिये वली माता शारदा बाई बेवा अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

13– बबली पुत्री अनारलाल, जाति मेहर नाबालिग जरिये वली माता शारदा बाई बेवा अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

14– पिन्या पुत्र अनारलाल, जाति मेहर नाबालिग जरिये वली माता शारदा बाई बेवा अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

15– तेजा पुत्र अनारलाल, जाति मेहर नाबालिग जरिये वली माता शारदा बाई बेवा अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

16– शारदा बाई बेवा अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

17– सोपत बाई पुत्री रामनारायण, जाति मेहर पत्नी मोहनलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

18– मनोहर बाई पुत्री रामनारायण पत्नी भवानीराम, जाति मेहर, निवासी सिन्दूरिया,

19– कला बाई पुत्री रामनारायण पत्नी नाथूष्यलाल, जाति मेहर, निवासी किशोरपुरा सुवासरा रोड़

20– टम्पू बाई पुत्री रामनारायण पत्नी दिनेश, जाति मेहर, निवासी अमराबर्डिया,

21– ईश्वर लाल आत्मज रानारायण, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

22– माणकचन्द आत्मज रामनारायण, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

23– बसन्ती बाई बेवा रामनारायण, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

24– श्रीमती संतोष बाई पत्नी रमेश, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

25– सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 27/2019 **दायरा दिनांक : 13.05.2019**

उनवान

अनोख बाई पुत्री रामनारायण पत्नी स्वर्गीय बिहारी लाल, जाति मेहर, निवासी दुर्गा माता मन्दिर के पास गरोठ, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1– भगवान आत्मज रामनारायण, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– दिनेश आत्मज बापू लाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3– महेष आत्मज बापू लाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– अनिता पुत्री बापू लाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5– नीतू पुत्री बापू लाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6– लीला बाई बेवा बापू लाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

7– जानकीलाल आत्मज अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

8– आशा बाई पुत्री अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

9– श्यामू बाई पुत्री अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

10– सीमा पुत्री अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

11– शीला पुत्री अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

12– सुनीता पुत्री अनारलाल जाति मेहर नाबालिग जरिये वली माता शारदा बाई बेवा अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

13– बबली पुत्री अनारलाल, जाति मेहर नाबालिग जरिये वली माता शारदा बाई बेवा अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

14– पिन्या पुत्र अनारलाल, जाति मेहर नाबालिग जरिये वली माता शारदा बाई बेवा अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

15– तेजा पुत्र अनारलाल, जाति मेहर नाबालिग जरिये वली माता शारदा बाई बेवा अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

16– शारदा बाई बेवा अनारलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

17– सोपत बाई पुत्री रामनारायण, जाति मेहर पत्नी मोहनलाल, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

18– मनोहर बाई पुत्री रामनारायण पत्नी भवानीराम, जाति मेहर, निवासी सिन्दूरिया,

19– कला बाई पुत्री रामनारायण पत्नी नाथूष्यलाल, जाति मेहर, निवासी किशोरपुरा सुवासरा रोड़

20– टम्पू बाई पुत्री रामनारायण पत्नी दिनेश, जाति मेहर, निवासी अमराबर्डिया,

21– ईश्वर लाल आत्मज रानारायण, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

22– माणकचन्द आत्मज रामनारायण, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

23– बसन्ती बाई बेवा रामनारायण, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

24– श्रीमती संतोष बाई पत्नी रमेश, जाति मेहर, निवासी बान्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

25– सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड़

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अजय श्रृंगी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.02.2020**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या –

103 / दावा / 2011 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.09.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 26 / 2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रकरण को कैम्प घटोद में रखकर केवल वादीगण 1, 2, व 7 की उपस्थिति में एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में प्रकरण का केम्प में साक्ष्य लिये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय कर दिया जो अवैधानिक है । कानूनन लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिन प्रकरणों में दोनों पक्ष लिखित में राजीनामा लिखवा कर अपने हस्ताक्षर कर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करें, परन्तु विवादित मामले में कोई राजीनामा किसी पक्षकार द्वारा पेश नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि प्रकरण जवाबदावे की कार्यवाही में विचाराधीन था, इसी दौरान लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2016 चलाया गया, प्रकरण को बिना सहमति पक्षकार प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प घटोद पर दिनांक 24.06.2016 को पक्षकारान की उपस्थिति में गुणावगुण पर निर्णित कर दिया । प्रकरण अपीलांट को सूचना के बिना ही लोक अदालत में रखा गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट अपना पक्ष रखने से वंचित हो गयी है, प्रकरण में साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सकी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । जवाबदावे की स्टेज पर कानूनी प्रावधान एवं सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की अनदेखी कर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी का केवल मृतक खातेदार रामनारायण के पांच पुत्रों को खातेदार घोषित कर बंटवारे का आदेश पारित किया है, जबकि पुत्रियासें के अधिकारों के बाबत घोषणा बाबत आदेश नहीं दिया है, जो अवैधानिक है जबकि कानूनन रामनारायण की पुत्रियां भी पुत्रों के साथ बहिस्सा बराबर घोषणा एवं बंटवारे का अधिकार रखती है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2016 निरस्त किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए एवं अपीलांट वादिनी को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें ।

अपील संख्या 27/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की सहमति बिना एवं लोक अदालत के प्रावधानों के विपरीत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखकर बिना सहमति पक्षकारान प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में त्रुटि की है प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.06.2016 की अपीलांट ने पृथक से पअील प्रस्तुत कर दी है । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पचपहाड़ से पेपर पार्टीशन पत्र दिनांक 24.01.2017 प्राप्त होने के बाद केवल वकील वादी को प्रस्ताव का अवलोकन कराकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव फाईनल डिक्री के आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अपीलांट वादिनी को कोई सूचना नहीं दी और आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया । बंटवारा प्रस्ताव, बंटवारे के नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत है । वक्त बंटवारा प्रस्ताव भी पटवारी हल्का द्वारा भी वादिनी अपीलांट को मौके पर नहीं बुलाया गया जो कानूनी प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है । बंटवारा के नियम 18 से 21 के मुताबिक वक्त बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाना चाहिए था और पक्षकारान को सूचना देते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था परन्तु विवादित मामले में बंटवारे के नियमों की सर्वथा अनदेखी की गई है जो कानूनी प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है । अतः

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06.09.2017 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपील के तथ्य पत्रावली पर प्रमाणित है । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 26/2019 एवं 27/2019 अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.09.2017 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.04.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा